भारतीय न्याय संहिता, 2023

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- Tansukh Paliwal

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

INDEX		
Sr. No.	**Subjects**	**Page No.**
1.	**Range - Chapter wise**	**4**
2.	**Section Switching Table [IPC - -> BNS]**	**5-6**
3.	**Prelims MCQs**	**7-61**
4.	**Mains Questions**	**62-160**
5.	**Interview Questions**	**161-167**
6.	**Scan QR** for **Landmark Judgments** **(Year wise & Subject wise)**	**168**

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय न्याय संहिता, 2023		
CH.	**BNS Range Chapter wise**	***Sections***
I	प्रारंभिक	*1-3*
II	दण्डों के विषय में	*4-13*
III	साधारण अपवाद	*14-44*
IV	दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में	*45-62*
V	स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में	*63-99*
VI	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों विषय में	*100-146*
VII	राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में	*147-158*
VIII	सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में	*159-168*
IX	निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में	*169-177*
X	सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में	*178-188*
XI	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	*189-197*
XII	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में	*198-205*
XIII	लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में	*206-226*
XIV	मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में	*227-269*
XV	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में	*270-297*
XVI	धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में	*298-302*
XVII	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	*303-334*
XVIII	दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में	*335-350*
XIX	आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में	*351-357*
XX	निरसन और व्यावृति ।	*358*

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

अध्याय – I : प्रारंभिक (1-3)

1. भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया?

(a) 1860 (b) 1861
(c) 1862 (d) 1863

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान: - धारा 1 IPC. (1 BNS)
स्पष्टीकरण: IPC 6 अक्टूबर, 1860 को अंगीकृत किया गया था, तथा पंद्रह महीने बाद 1 जनवरी, 1862 को लागू हुआ.

2. जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आशय से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे किस तरह की गयी बात कही जाएगी?

(a) कपटपूर्वक
(b) बेईमानी से
(c) गलत तरीके से
(d) रिष्टि से

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:- : L/w sec.24 (2(7) BNS), 209 (246 BNS), 246-247 (deleted), 369 (97 BNS), 378 (303(1) BNS), 383 (308(1) BNS), 403-405 (314-316 BNS), 411-412 (317 (2)-(3) BNS), 420-424 (318-323 BNS), 439 (328 BNS), 461-462 (334 BNS), 464 (335 BNS), 471, 474 (339 BNS), 477 (343 BNS), 496 IPC (83 BNS).

3. अपराधिक मन:स्थिति का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ मेंसरिया) अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है?

(a) धोखाधड़ी से संबंधित
(b) शारीरिक चोट से संबंधित
(c) राज्य के विरूद्ध अपराध से संबंधित
(d) सख्त देयता (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी)

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान:- Sec.34 IPC. (3(5) BNS)
स्पष्टीकरण; मेन्स री का मतलब गलत इरादा है। उक्ति का अर्थ है कि कोई कार्य स्वयं को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि मन भी दोषी न हो। सख्त दायित्व वाले अपराध, जिन्हें लोक कल्याणकारी अपराध के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे अपराध हैं जिनके लिए मेन्स री की आवश्यकता नहीं होती है।

4. निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है?

(a) जम्मू-कश्मीर राज्य
(b) भारत में अपराध करने वाला एक विदेशी नगारिक
(c) जापान के अधिकार-क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए भारतीय विमान में किया गया अपराध
(d) भारत की जलीय क्षेत्र पर एक विदेशी द्वारा किया जाने वाला अपराध

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान: - Sec.1 IPC.(1 BNS)
स्पष्टीकरण:- भारतीय दंड संहिता जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 (2019 का 34) (31-10-2019 से प्रभावी) के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागु हुई है। पहले यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू था।

5. "लोक सेवक" शब्द के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, निम्न में से किस में आता है?

(a) सेना का आयुक्त आफिसर
(b) हर न्यायाधीश, जो न्याय निर्णायिक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा शक्त किया गया हो
(c) न्यायालय का हर आफिसर
(d) उपरोक्त सभी

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान; धारा 21 (2(28) BNS), L/w 14 (deleted), 19 (2(16) BNS), 20 IPC (2(5) BNS), 2(17) सिविल प्रक्रिया संहिता।

6. IPC. की धारा 29क संबंधित है.......से

(a) दस्तावेज
(b) मूल्यवान प्रतिभूति
(c) इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान: sec.17, 22A, 34, 35, 39, 45A, 59, 65A, 65B, 67A, 81A, 85A, 88A, 90A, 131 IEA।
स्पष्टीकरण; Sec.29A को 2000 में 17-10-2000 से डाला गया।
दस्तावेज़- **धारा 29 (2(8) BNS**
मूल्यवान सुरक्षा- **धारा 30 (2(31) BNS)**
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड- **sec.29A (2(39) BNS**

7. अपराध के कौन-से 2 आवश्यक तत्व है?

(a) हेतुक एवं कृत्य
(b) हेतुक एवं दोष सिद्धी
(c) हेतुक एवं क्षति
(d) तैयारी एवं दण्ड

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान: IPC की धारा 40, (2(24 BNS), 2(एन) दंड प्रक्रिया संहिता (2 BNSS)
स्पष्टीकरण; आम तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी अपराध के आवश्यक तत्व हैं
(1) एक स्वैच्छिक कार्य या चूक (actus reus), साथ में
(2) मन की एक निश्चित स्थिति (मनुष्य)।

8. 'न्यायालय' शब्द आई.पी.सी. की किस धारा के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है?

(A) धारा 19
(B) धारा 20
(C) धारा 30
(D) धारा 25

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान; Sec.20 (2(5) BNS), L/w sec.19 IPC. (2(16) BNS)
स्पष्टीकरण- धारा 20 "न्यायालय" शब्द को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, "न्यायालय" शब्द एक न्यायाधीश को दर्शाता है जो कानून द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत है, या न्यायाधीशों का एक निकाय जो कानून द्वारा न्यायिक रूप से एक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है, जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है।
लिंकिंग प्रावधान- धारा 20 L/w धारा 19 IPC.
स्पष्टीकरण- धारा 20 “न्यायालय” शब्द को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, “न्यायालय” शब्द एक न्यायाधीश को दर्शाता है जो विधिद्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत है, या न्यायाधीशों का एक निकाय जो विधि द्वारा न्यायिक रूप से एक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है, जब ऐसे न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है।

9. भारतीय दण्ड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किये गये हैं-

(a) नर हेतु
(b) नारी हेतु

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

1. **धारा 5**(धारा **1(6) BNS)-** भारतीय दंड संहिता, किसी प्रकार की विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी।
2. **धारा 40**(धारा **2(24) BNS)-** अपराध (धारा 40 के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत विशेष या स्थानीय विधि के अपराध भी)।
3. **धारा 42**(धारा **2(18) BNS)-** स्थानीय विधि - जो किसी विशिष्ट भाग को लागू हो।

स्पष्टीकरण - धारा **41**(धारा **2(30) BNS)-**"विशेष विधि" के अंतर्गत वहै विधि जो विशिष्ट विषय पर लागू हो, जैसे - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, किशोर न्याय(बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम,2015।

32. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बैंककर पर दिया गया चैक क्या है ?

(a) अभिलेख
(b) कूटकरण
(c) मूल्यवान प्रतिभूति
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 29A(धारा 2(38) BNS)-** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख।
2. **धारा 30(धारा 2(31) BNS)-** मुल्यवान प्रतिभूति।
3. **धारा 3(धारा 2 BSA)-** दस्तावेज। (साक्ष्य अधिनिगम, 1872) ।
4. **धारा 61(धारा 56 BSA)-** दस्तावेजो की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा (साक्ष्य अधिनियम, 1872) ।
5. **धारा 464(धारा 335 BNS)-** मिथ्या दस्तावेज रचना।

स्पष्टीकरण - धारा 29 के दृष्टांत पर आधारित।

धारा 29(धारा 2(8) BNS)- दस्तावेज - शब्द किसी भी विषय का धोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंको या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

33. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 22 (Sec 2(21) BNS) में उपबंध है :

(a) सदोष अभिलाभ का
(b) सदोष हानि का
(c) बेईमानी का
(d) जंगम सम्पत्ति का

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 3 -** स्थावर संपति (सम्पति अंतरण अधिनियम, 1882)।
2. **धारा 2(6)/2(9)-** स्थावर संपति व जंगम संपति (रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1908)।
3. **धारा 2(13) -** जंगम संपति (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)।
4. **जंगम संपति संबंधी अपराध -**
   १) धारा 378(**धारा 303(1) BNS)**- चोरी।
   २) धारा 403(**धारा 314 BNS)**- आपराधिक दुर्विनियोग।
   ३) धारा 481(**धारा 345(2) BNS)**- मिथ्या संपति चिन्ह का उपयोग।

स्पष्टीकरण - धारा **22(धारा 2(21) BNS)-** जंगम संपति - इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपति आती है, किंतु भूमि और वे चीजे हो या भुबद्ध हो या भुबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकड़ी हुई हो, इसे अंतर्गत नहीं आती है।

34. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ?

(a) न्यायाधीश : धारा 18
(b) न्यायालय : धारा 22
(c) बेईमानी से : धारा 24
(d) दस्तावेज : धारा 28

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 379(धारा **303(2) BNS)** – चोरी
2. धारा 383(धारा **308(1) BNS)** – उद्दापन
3. धारा 403(धारा **314 BNS)** – संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
4. धारा 405(धारा **316(1) BNS)** – आपराधिक न्यास भंग ।

स्पष्टीकरण:- शब्द "बेईमानी" को IPC की धारा 24 के तहत परिभाषित किया गया है। शब्द "न्यायाधीश" धारा 19 के तहत दिया गया है, शब्द "न्यायालय" शब्द धारा 20 के तहत दिया गया है, और शब्द "दस्तावेज़" IPC की धारा 29 के तहत दिया गया है। अतः विकल्प C सही सुमेलित है।

35. 'लिंग' शब्द को भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में स्पष्ट किया गया है ?

(a) धारा 7 (धारा **3(2) BNS)**
(b) धारा 8 (धारा **2(10) BNS)**
(c) धारा 9 (धारा **2(22) BNS)**
(d) धारा 10 (धारा **2(19),2(35) BNS)**

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 10(धारा **BNS)** - पुरुष और स्त्री
2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:-
   (i) धारा 354A (धारा **75 BNS)**– लैंगिक उत्पीड़न
   (ii) धारा 354B(धारा **76 BNS)** – महिला को विर्वस्त्र करने के आशय से बल प्रयोग करना।
   (iii) धारा 354C(धारा **77 BNS)** – दृश्यकारिता
   (iv) धारा 354D (धारा **78 BNS)**– पीछा करना
   (v) धारा 375/376 (धारा **63/64 BNS)**– बलात्संग
   (vi) धारा 509 (धारा **79 BNS)**– किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित शब्द, अंग विक्षेप या कार्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 8 – पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ उपयोग किए जाते हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागु हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला।

अध्याय – II : दण्डों के विषय में (4-13)

36. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड का लघुकरण किसी अन्य दण्ड के लिए कौन कर सकता है ?

(a) विधि मंत्री
(b) भारत के राष्ट्रपति
(c) राज्यों के राज्यपाल
(d) समुचित सरकार

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।
2. अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
3. धारा 433 (Sec 474 BNSS)- सजा कम करने की शक्ति।CrPC
4. धारा 434 (Sec 476 BNSS) - केंद्र सरकार की शक्ति। CrPC
5. धारा 55 (Sec 5 BNS)– आजीवन कारावास की सजा का लघुकरण।

स्पष्टीकरण:- धारा 54 (Sec 5 BNS)– मौत की सजा के मामले में उपयुक्त सरकार, अपराधी की सहमति के बिना, किसी अन्य सजा के लिए सजा का लघुकरण कर सकती है।

37. भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है?

(a) 20 वर्ष　　(b) 14 वर्ष
(c) 16 वर्ष　　(d) 12 वर्ष

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा **57 (6 BNS), L/w 511 IPC. (62 BNS)**

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

44. यदि अभियुक्त किसी मामले में एक वर्ष से अधिक समय की सजा से दण्डित किया गया है, तो एकान्तवास की सजा अधिक नहीं होगी।

(a) एक मास से
(b) दो मास में
(c) तीन मास में
(d) कोई सीमा नहीं है

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 73 (धारा 11 BNS) -** एकांत परिरोध।
2. **धारा 74 (धारा 12 BNS) -** एकांत परिरोध की अवधि।

स्पष्टीकरण:- भारतीय दंड संहिता, **1860** की धारा **73** कैदी को अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए एकान्त कारावास में रखने की शक्ति देती है।

45. "समुचित सरकार" एक अभियुक्त की मृत्यु दण्ड की सजा को किसी अन्य सजा (दण्ड) में लघुकरण कर सकती है

(a) अभियुक्त की सहमति से
(b) अभियुक्त के रिश्तेदारों की सहमति से
(c) अभियुक्त के अधिवक्ता की सहमति से
(d) बिना अभियुक्त की सहमति से

Ans. [D]

किंग प्रावधान :-

1. **अनुच्छेद 72 -** राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
2. **अनुच्छेद 161 -** राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति।
3. **धारा 54/55** (**धारा** 5 BNS)**–** समुचित सरकार दंडादेश के लघुकरण की शक्ति।
4. **धारा 55A** (Exp of **धारा** 5 BNS)**–** समुचित सरकार।
5. **धारा 432/433** (**धारा** 473-474 BNSS)– सरकार द्वारा की दंड को परिहार व लघुकरण (CrPC, 1973)।
6. **धारा 306** (**धारा** 343 BNSS)**–** न्यायलय द्वारा सहअपराधी को क्षमादान (CrPC, 1973)।

स्पष्टीकरण - धारा 54 (**धारा** 5 BNS)– हर मामले में, जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो, अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार उस दंड को किसी अन्य दंड मे लघुकरण कर सकेगी।

46. जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गयी है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है

(a) असीमित
(b) ₹50,000 से अधिक नहीं।
(c) ₹10,00,000 से अधिक नहीं।
(d) असीमित परन्तु अत्यधिक नहीं।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा **63**(धारा **8(1) BNS) L/w 64**(धारा **8(2) BNS), 66**(धारा **8(4) BNS), 70**(धारा **8(7) BNS) IPC.**

स्पष्टीकरण- धारा 63 (धारा **8(1) BNS)** प्रदान करता है कि जहां कोई राशि व्यक्त नहीं की जाती है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ जुर्माना की राशि जिसके लिए अपराधी उत्तरदायी है, असीमित है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगी।

47. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत 'एकान्त परिरोध' की अधिकतम अवधि उपबन्धित है:

(a) माह (b) माह
(c) वर्ष (d) माह

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. प्रायश्चित का सिद्धांत
2. धारा 74 (धारा **12 BNS)**– एकान्त कारावास की सीमा

स्पष्टीकरण:- IPC की धारा 73 (धारा **11 BNS)** एकान्त कारावास के प्रावधान प्रदान करती है जो एक अभियुक्त को पूरे 3 महीने से अधिक नहीं दी जा सकती है।

48. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार किसी दोषसिद्ध को दिये गये दण्ड के किसी भाग अथवा भागों की अवधि के लिए एकान्त परिरोध में रखा जा सकता है। निम्न में से कौनसा सही नहीं है?

(a) कुल मिलाकर तीन माह की अवधि से अधिक न हो
(b) यदि सजा की अवधि छ: माह से अधिक और एक वर्ष से अधिक नहीं है तो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं
(c) यदि सजा की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं
(d) किसी भी अवस्था में एकान्त परिरोध की अवधि एक बार में **14** दिवस से अधिक नहीं होगी

Ans. [b]

स्पष्टीकरण - धारा - 73/74 - निम्न समय के लिए एकांत परिरोध:-

1. कारावास छ: माह तक वहा एकांत परिरोध 1 माह
2. कारावास एक वर्ष तक वहा एकांत परिरोध दो माह
3. कारावास एक वर्ष से अधिक वहा एकांत परिरोध 3 माह

एकांत परिरोध- केवल उन्हीं मामलों में जिसमे दोषसिद्धि हों गयी और न्यायालय को कठिन कारावास का दण्ड देने की शक्ति।

नोट:- अंवेषण के दौरान धारा **73** व **74** को लागू नहीं किया जा सकता।

अधिकतम एकांत परिरोध:- तीन माह

मामला:-

1. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980
2. चार्ल्स शोभराज बनाम जेल अधीक्षक, 1978

अध्याय – III : साधारण अपवाद (14-33)

49. निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उनको प्रासंगिक धाराओं के बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए

I. राजद्रोह
II. गृह-अतिचार
III. सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना
IV. लोक उत्पात (लोक न्यूर्सेस)

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए

Code -

(a) III, I, IV, II (c) I, III, II, IV
(b) III, IV, I, II (d) IV, II, I, III

Ans [a]

स्पष्टीकरण-

- **धारा 93 (धारा 31 BNS)** सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना से संबंधित है।
- **धारा 124 क** राजद्रोह से संबंधित है ।
- **धारा 268 (धारा 270 BNS)** लोक उत्पात से संबंधित है।
- **धारा 442 (धारा 329 BNS)** गृह-अतिचार से संबंधित है।

50. 'A' एक तैराकी का राष्ट्रीय चैम्पियन है, वह एक बच्चे को तालाब में डूबते देखता है, वह उसको डूबने से बचा सकता था परन्तु नहीं बचाता, बच्चा डूब जाता है। क्या 'A' दोषी है –

(a) हत्या का
(b) आत्महत्या के दुष्प्रेरण का
(c) हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का
(d) कोई अपराध नहीं

Ans [d]

स्पष्टीकरण- दिए गए मामले में, A ने कोई अपराध नहीं किया है। भले ही, वह तैराकी का राष्ट्रीय चैंपियन था, लेकिन वह IPC के किसी भी अपराध के

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय न्याय संहिता, 2023
(IPC, 1860)

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (IPC, 1860)
Chapter I
Nature, Definition, Meaning and Elements of Crime

1. आपराधिक मन:स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [UP PCS(J) 1982, PJS 1995(II), M.P. CJ 2014]

Or

प्रत्येक अपराध में आपराधिक मन:स्थिति एक आवश्यक तथ्य है। इस नियम को स्पष्ट कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि यह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत अपराध पर किस सीमा तक लागू होता है।

[JHARKHAND PCS(J) 2014]

Or

आपराधिक मन:स्थिति के सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए। सख्त दायित्व से संबंधित अपराधों के मामले में यह किस प्रकार सम्मिश्रित होती है।

[HJS 1988]

Or

आपराधिक मन:स्थिति से आप क्या समझते हैं? भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत आपराधिक मन:स्थिति का क्या महत्व है। विवेचन कीजिए।

[UP PCS(J) 2016]

Ans.- आपराधिक मन:स्थिति अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या दोषी मन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य अपराध करते समय गलत काम करने के आशय या ज्ञान से है। आपराधिक मन:स्थिति आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आकस्मिक कार्यों और आपराधिक आशय से किए गए कार्यों के बीच अंतर करता है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) में, आपराधिक मन:स्थिति की आवश्यकता "बेईमानी से" (धारा 24) (2(7) BNS), "कपटपूर्वक" (धारा 25) (2(9) BNS), और "स्वेच्छा से" (धारा 39)(2(33) BNS) जैसे शब्दों में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, चोरी (धारा 378) (303(1) BNS) जैसे अपराधों में, व्यक्ति के पास संपत्ति लेने का बेईमान आशय होना चाहिए।

आपराधिक मन:स्थिति के बिना, कुछ कार्यों को अपराध नहीं माना जा सकता है। हालांकि, BNS के तहत सख्त दायित्व वाले अपराधों के लिए आपराधिक मन:स्थिति के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है।

2. आपराधिक मन:स्थिति क्या है? सूक्ति "एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री" को स्पष्ट कीजिए। अपराध का निर्धारण करने के लिए हेतु कितना आवश्यक है? क्या आपराधिक मन:स्थिति के सिद्धांत के कोई अपवाद हैं? अपने उत्तर का उदाहरण दीजिए।

[HJS 1996, UP PCS(J) 2012]

Ans.- आपराधिक मन:स्थिति का तात्पर्य अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या दोषी मन से है। इसका तात्पर्य अपराध करते समय गलत काम करने के आशय या ज्ञान से है। आपराधिक मन:स्थिति आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आकस्मिक कार्यों और आपराधिक आशय से किए गए कार्यों के बीच अंतर करता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में, आपराधिक मन:स्थिति की आवश्यकता "बेईमानी से" (धारा 24) (2(7) BNS), "कपटपूर्वक" (धारा 25) (2(9) BNS), और "स्वेच्छा से" (धारा 39) (2(33) BNS) जैसे शब्दों में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, चोरी (धारा 378) (303(1) BNS) जैसे अपराधों में, व्यक्ति के पास संपत्ति लेने का बेईमान आशय होना चाहिए।

लैटिन कहावत "एक्टस नॉन फैसिट रीम निसी मेन्स सिट रीया" का अनुवाद "कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके पास दोषी मन न हो।" इसका मतलब है कि, अपराध का गठन करने के लिए, एक गलत कार्य (वास्तविक कार्य) और एक दोषी मन (आपराधिक मन:स्थिति) दोनों मौजूद होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जाता है जब वह अपराध करने का आशय रखता है या उसे अपने गलत कार्यों का ज्ञान होता है।

हेतु वह अंतर्निहित कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन यह आपराधिक मन:स्थिति से अलग है। जबकि आपराधिक मन:स्थिति अपराध के दौरान आशय या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, हेतु बताता है कि अपराध क्यों किया गया था। आपराधिक दायित्व साबित करने के लिए आम तौर पर हेतु आवश्यक नहीं होता है, हालांकि यह सजा की गंभीरता को निर्धारित करने या न्यायाधीश के विवेक को प्रभावित करने में मदद कर सकता है।

आपराधिक मन:स्थिति के अपवाद: भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कुछ अपराधों के लिए आपराधिक मन:स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ये अक्सर सख्त दायित्व वाले अपराध होते हैं, जहाँ केवल कृत्य करने से ही व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है, चाहे उसका आशय कुछ भी हो। उदाहरणों में शामिल हैं:

- लोक उपद्रव (IPC की धारा 268) (270 BNS): आपराधिक मन:स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।
- लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण (IPC की धारा 166क) (199 BNS): इसमें लोक कर्तव्य के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए सख्त दायित्व शामिल है।
- लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अपराधों जैसे विनियामक अपराधों के लिए आपराधिक मन:स्थिति के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। इन मामलों में, इसके पीछे के आशय के बजाय कार्य पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।

Click Here to Buy Linking Publications

Chapter II
General Exceptions

1. तथ्य की भूल एवं विधि की भूल के मध्य अंतर की विवेचना कीजिए।

[DJS 2008]

Ans.- भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत तथ्य की भूल और विधि की भूल के बीच का अंतर आपराधिक दायित्व निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है।

तथ्य की भूल:

- o किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित किसी तथ्य के बारे में गलतफहमी है।
- o IPC की धारा 76 (14 BNS) और धारा 79 (17 BNS) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण इस विश्वास के तहत कार्य करता है कि वह न्यायोचित है या विधि द्वारा बाध्य है, तो वह प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- o यदि कोई व्यक्ति मानता है कि कोई निश्चित संपत्ति उसकी है और उस विश्वास के तहत, उस पर कब्जा कर लेता है, तो वह तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- o यदि साबित हो जाता है, तो तथ्य की भूल आपराधिक मामलों में एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में काम कर सकती है।

विधि की भूल:

- o किसी व्यक्ति को विधिक प्रावधानों या विधि के अस्तित्व के बारे में गलतफहमी है।
- o यहाँ "विधि की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है" का सिद्धांत लागू होता है, जैसा कि कहावत इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसैट के अनुसार है।
- o यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसे पता नहीं था कि कोई कार्य अवैध है, तो वह इस भूल का हवाला देकर उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता।
- o विधि की भूल प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है, और व्यक्ति को अभी भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

2. दाण्डिक विधि में प्रतिरक्षा के रूप में तथ्य की भूल की विवेचना कीजिए एवं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

[DJS 2014]

Ans.- **तथ्य की भूल:**

- o किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित तथ्य के बारे में गलत जानकारी है।
- o IPC की धारा 76 (14 BNS) और धारा 79 (17 BNS) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण यह विश्वास करके कार्य करता है कि वह न्यायोचित है या विधि से बंधा हुआ है, तो वह प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- o यदि कोई व्यक्ति मानता है कि कोई निश्चित संपत्ति उसकी है और उस विश्वास के तहत, उस पर कब्ज़ा कर लेता है, तो वह तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- o तथ्य की भूल, यदि सिद्ध हो जाती है, तो आपराधिक मामलों में एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में काम कर सकती है।

  उदाहरण: A, एक सैनिक, को उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। A, आदेश को वैध मानता है और यह मानता है कि भीड़ हिंसक रूप से कार्य कर रही है, भीड़ में एक व्यक्ति को गोली मारकर मार देता है। इस मामले में, A, IPC की धारा 76 (14 BNS) के तहत तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था और भीड़ के व्यवहार के बारे में तथ्यात्मक स्थिति के बारे में गलत था। इस प्रकार, A को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

3. निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए

(a) आपराधिक कार्य के लिए बालक का दायित्व

[HJS 1984]

Or

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
अव्यस्क का आपराधिक दायित्व

[HJS 1986]

Or

सात साल से कम उम्र के बच्चों और सात से ऊपर और बारह साल से कम उम्र के बच्चों को IPC के तहत क्या आपराधिक प्रतिरक्षा प्रदान की गई है?

[HPJS 2016]

Or

अव्यस्कों के मामले में आपराधिक दायित्व से छूट की विधि पर चर्चा करें।

[DJS 1996, HJS 1998]

Ans.- IPC के तहत, आपराधिक कृत्य के लिए बच्चे की जिम्मेदारी धारा 82 (20 BNS) और धारा 83 (21 BNS) द्वारा नियंत्रित होती है:

- **धारा 82 (20 BNS)** : सात वर्ष से कम आयु के बच्चे पर कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उन्हें "डोली इनकैपैक्स" (आपराधिक आशय बनाने में असमर्थ) माना जाता है। इस प्रकार, इस आयु से कम आयु के बच्चे को आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह छूट दी जाती है।

Click Here to Buy Linking Publications

Sample Preview

[UP PCS(J) 1985)

Ans.- भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत, उकसाना तीन कृत्यों में से एक है जो दुष्प्रेरण का गठन करता है, जैसा कि धारा 107(45 BNS) में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है किसी को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना या डराना। उकसावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।

उपर्युक्त मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की धारा 111(51 BNS) के अंतर्गत आता है, जो उकसावे के बाद एक अलग कार्य किए जाने पर उकसाने वाले की देयता को शामिल करता है। उकसाने वाला उसी तरह और उसी सीमा तक किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी है जैसे कि उसने सीधे तौर पर उकसाया हो। हालाँकि, कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:

- किया गया कार्य उकसावे का संभावित परिणाम था
- यह कार्य उकसावे के प्रभाव में किया गया था
- यह कार्य षडयंत्र की सहायता से या उसके अनुसरण में किया गया था जिसने उकसावे का गठन किया

इस मामले में, A, B को C के घर को जलाने के लिए उकसाता है। B घर में आग लगाता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। यहां A और B केवल घर को जलाने के अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे और B अकेले चोरी के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि उपरोक्त कृत्य में घर को जलाने का संभावित परिणाम चोरी नहीं है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय न्याय संहिता, 2023
(IPC, 1860)

साक्षात्कार प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC, 1860)

1. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं?
Ans. सर, 511 धाराएं हैं । (358 BNS)

2. धारा 511 किस अपराध से संबंधित है ?
Ans. धारा 511 आपराधिक प्रयास से संबंधित है, जिसका उल्लेख संहिता में नहीं है।

3. भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई?
Ans. सर, 1 जनवरी, 1862 को। (1 JULY 2024 BNS)

4 अपराध के कितने चरण हैं?
Ans. सर, चार - आशय, तैयारी, प्रयास और अपराध का समापन।

5. क्या आशय दंडनीय है?
Ans. आशय आम तौर पर दंडनीय नहीं होता है, केवल कुछ परिस्थितियों में दंडनीय होता है। डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठा होना (धारा 402), **(310 BNS)** आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120-ए) **)** (61 BNS)।

6. तैयारी और प्रयास में क्या अंतर है?
Ans. कुछ अपराधों को छोड़कर तैयारी दंडनीय नहीं है जबकि अपराध करने का प्रयास हमेशा दंडनीय होता है।

7. अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं?
Ans. सर,
1. मानव या व्यक्ति,
2. कार्य या चूक,
3. आपराधिक मन: स्थिति
4. नुकसान।

8. आपराधिक मन: स्थिति भारतीय दंड संहिता में लागू है?
Ans. सर, नकारात्मक ढंग से और सकारात्मक ढंग से दोनों लागू होते हैं। एक सामान्य अपवाद के रूप में, मन: स्थिति की अनुपस्थिति मान ली जाती है। अपराध की परिभाषा के तहत लागू नहीं किया गया। यह अपराध के एक तत्व के रूप में लागू नहीं किया गया था।

9. आपराधिक मन: स्थिति का क्या अर्थ है?
Ans. आपराधिक मन: स्थिति का अर्थ है ऐसा कार्य जो दोषी मन से किया गया हो। आपराधिक कृत्य आपराधिक मन: स्थिति के बराबर है ।

10. 'एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेन्स सिट री' का क्या अर्थ है?
Ans. निर्दोष मन से किया गया कार्य, अपराध नहीं है।

11. बेईमानी की परिभाषा दीजिए।
Ans. जो कोई एक व्यक्ति को सदोष लाभ या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से कोई कार्य करता है, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, कहा जाता है। (धारा 24) [2(7) BNS)]

12. एक सामान्य आशय और समान या समान आशय के बीच क्या अंतर है?
Ans. सामान्य आशय में पूर्व सहमति आवश्यक है जबकि समान आशय की आवश्यकता नहीं है।

13. 'मन की पूर्व सहमति' का क्या अर्थ है?
Ans. अपराध में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के आशय से अवगत है।

14. मन का मिलन क्या है?
Ans. मन के मिलन का अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिभागी एक दूसरे के मन को जानता है और उससे सहमत होता है।

15. 'सद्भावपूर्वक' को परिभाषित कीजिए।
Ans. कोई बात 'सद्भावपूर्वक' की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। (धारा 52) [2(11) BNS]

16 दंड कितने प्रकार के होते हैं?
Ans. सर, 5 प्रकार,
(i) मृत्युदंड,
(ii) आजीवन कारावास,
(iii) कारावास (दो प्रकार- कठोर और साधारण)
(iv) संपत्ति का समपहरण और
(v) जुर्माना।

17. उन धाराओं के बारे में बताएं जिनके तहत मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है?
Ans. धारा 121, 132, 194, 195-ए, 302, 305, 307, 364-ए, 376-ए, 376-ई और धारा 396। [147, 160, 230, 232, 103, 107, 140, 66, 71, 310 BNS]

18. क्या आजीवन कारावास साधारण हो सकता है?
Ans. नहीं, सर, हमेशा कठोर कारावास होता है

19. आजीवन कारावास का अर्थ क्या है।
Ans. आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी व्यक्ति की मृत्यु तक आजीवन कारावास। (केस-गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य, 1961 एससी, करतार सिंह बनाम राज्य, 1985 एससी।)

20. न्यूनतम अनिवार्य कारावास के प्रावधान से संबंधित धाराओं की व्याख्या कीजिए।
Ans. धारा 304-B (80 BNS), 397 (311) & धारा 398 (312 BNS), 376 to 376-E (64-71 BNS).

21. भारतीय दंड संहिता के तहत न्यूनतम कारावास क्या है?
Ans. सर, 24 घंटे (धारा 510) (355 BNS)

22. संपत्ति के समपहरण से संबंधित धाराएं क्या हैं?
Ans. सर, धारा 126,127,169 और 263-ए।(154, 155, 157, 186 BNS)

23 भारतीय दंड संहिता के तहत केवल जुर्माने से संबंधित कौन सी धाराएं हैं?
Ans. धारा 154, 294-ए (193, 297 BNS) के तहत अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 137, 171-एच और 171-आई (165, 176, 177 BNS) के तहत अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना। आईपीसी की धारा 263-ए, 283 और 290 (186,285, 292 BNS).के तहत अधिकतम 200 रुपये तक का जुर्माना।

24. क्या भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन निर्वासन की सजा दी जा सकती है?
Ans. नहीं सर ।

25. मृत्युदंड या आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकता है?
Ans. समुचित सरकार (केंद्र सरकार या राज्य सरकार)।

26. जहां जुर्माना नहीं जताया गया है, वहां कितना जुर्माना हो सकता है?
Ans. असीमित, लेकिन अत्यधिक नहीं। (धारा 63) (8 BNS)

27. एक बार में एकान्त परिरोध कितने दिनों का होता है?
Ans. सर, 7 दिन। (एक महीने में सात दिन, और उतना ही अंतराल।)

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

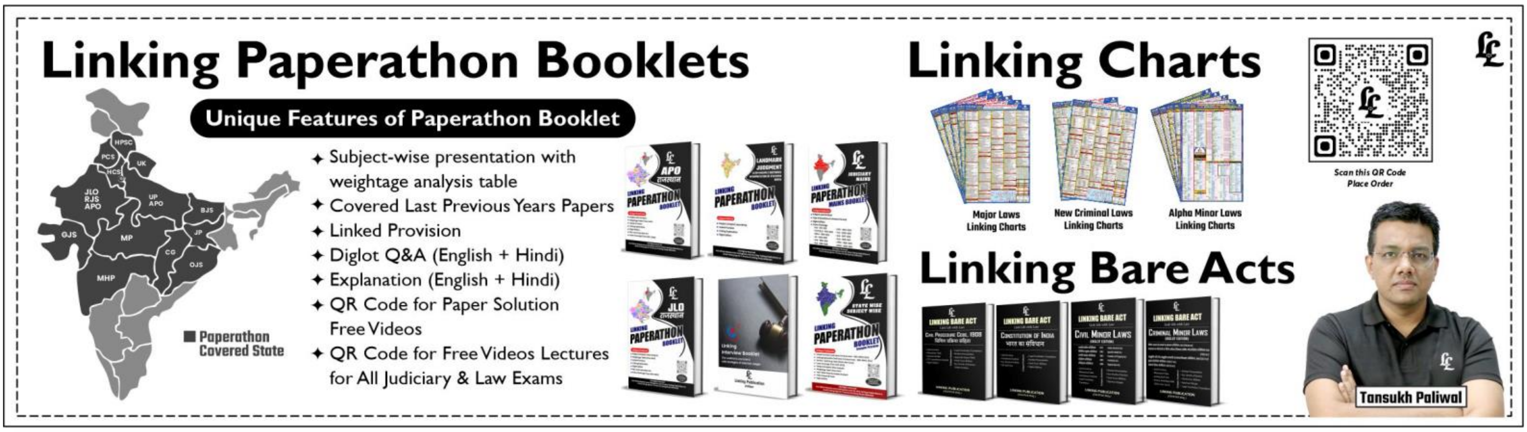

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications